

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2204] No. 2204] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

का. आ. 2903(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् स्टैनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2016, जोकि इस्पात मंत्रालय की दिनांक 10 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2061(अ) के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया है, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात:-

- 1. इस आदेश को स्टैनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाएगा।
- 2. स्टैनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2016 (इसके बाद मूल आदेश संदर्भित किया गया है) के पैराग्राफ 1, उप पैराग्राफ (2) में शब्दों "तीन महीनों" के स्थान पर आंकडें और शब्द "180 दिनों" रखा जाएगा।
- 3. मूल आदेश की अनुसूची में कोष्ठकों, शब्दों और आंकड़ों "[पैराग्राफ 2 (च) देखे]" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और आंकडे "[पैराग्राफ 2 (च), पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 8 देखे]" रखे जाएंगे।

[एफ. सं० 1(6)/2016-टीडी]

सुनील बड़थ्वाल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2061(अ), दिनांक 10 जुन, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था।

4367 GI/2016 (1)

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2016

S.O. 2903(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following amendment in the Stainless Steel Products (Quality Control) Order, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Steel, number S.O. 2061(E), dated the 10th June, 2016, namely:-

- 1. This Order may be called the Stainless Steel Products (Quality Control) (Amendment) Order, 2016.
- 2. In the Stainless Steel Products (Quality Control) Order, 2016 (hereinafter referred to as the principal order), in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words "three months", the figures and words "180 days", shall be substituted.
- 3. In the principal Order, in the SCHEDULE, for the brackets, words and figures "[See paragraph 2(f)]", the brackets, words and figures [See paragraph 2(f), paragraph 3 and paragraph 8] shall be substituted.

[F. No. 1(6)/2016-TD]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2061(E), dated 10th June, 2016.